न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 678/2019

सुल्तानराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 कृष्णलाल पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 मनीराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 रावताराम पुत्र गोधूराम जाति मेघवाल निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88 , 53, 188 आर.टी.ए

उपस्थित अधिवक्तागण :–

श्रीमती कंचन सेतिया मुंजाल अधिवक्ता वादी

1. श्री जगनन्दन सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2

2. राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक :** 01.11.19

वादीगण ने प्रतिवादी विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीए के तहत इस न्यायालय में संक्षेप में इस प्रकार पेश किया कि चक 1 बी एन डब्ल्यू के खाता संख्या 18/8 प.न. 37/112 मु.नं. 39 कि.न .13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 सालम, प.न. 37/113 मु.न. 54 कि.न .2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 22, 23 सालम प.न. 37/114 मु.न. 65 कि.न. 3 कुल किता 19 कुल क्षैत्रफल 4.807 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता खाला आराजी में से वादी के नाम 1.391 हे. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण से अपने नाम दर्ज उक्त आराजी का अनय सहकाश्तकारान के साथ अर्सा पूर्व बंटवारा कर लिया था व तत्पश्चात आराजी वादी के हक हिस्सा में आने पर बंटवारानूसार उक्त आराजी पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है वादी को मुताबिक बंटवारा अपने हक व हिस्सानूसार किला विशेष आराजी चक 1 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 18/8 के प.न 37/112 मु.न. 39 कि.न.22, 23 सालम मय गै.मु. रास्ता नहरी, प.न. 37/113 मु.न. 54 कि.न 2,9,12 सालम, कि.न. 19 में 0.126 हे. कि.न .23 सालम नहरी, प.न .37/114 मु.न. 65 कि.न .3 सालम कुल क्षैत्रफल 1.897 है. नहरी आराजी कब्जा काश्त में चली आ रही है। आराजी राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण एव सांझा खाता मे दर्ज रिकॉर्ड रहने के कारण वादी को काफी परेशानियों पड़ता है, एव आराजी संयुक्त खाता मे दर्ज रहने के कारण वादी

असहाय महसूस करता है जिस कारण वादी की मद संख्या 3 में दर्ज आराजी अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त किला विशेष आराजीका खाता अलग कायम करवा कर घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि वे लोग सहमति के आधार पर वादी के हक व हिस्सा की आराजी का खाता अलग से कायम करवा देवे तो पहले प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 22.07.2019 को बमुकाम हाकमाबाद में स्पष्ट रूप इन्कार हो गये और वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम तो तुम्हारे साथ हुये बंटवारा को नही मानते और ना ही तुम्हे किला विशेष आराजी का खाता अलग कायम करवाने देगे तुमसे जो होता है कर लो बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि :– वादी को चक 1 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 18/8 प.न. 37/112 मु.न. 39 कि.न .22, 23 सालम, मय गै.मु. रास्ता, प.न. 37/113 मु.न. 54 कि.न. 2, 9, 12 सालम कि.न. 19 में 0.126 है., कि.न. 23 सालम, नहरी प.न. 37/114 मु.न. 65 कि.न. 3 सालम कुल 1.897 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम किया जावे एव प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे एव प्रवितादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी की कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी विधिवत तरीके से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तुआ की गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने हक हिस्सा की किला विशेष आराजी का खाता तकसीम किये जाने एव खातेदारी घोषणा का अनूतोष चाहा है जो कि वादाधीन आराजी संयुक्त खाता की आराजी है एव वादी किला विशेष आराजी की खातेदारी चाह रहा है, वादी के कब्जा काश्त की किला विशेष आराजी के सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1व 2 ने इकबाल कथन पेश किये है एव कब्जा काश्त को स्वीकार किया है जो कि वादी के खाता अलग कायम होने की स्थिती में शेष आराज़ी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्सा की आराजी ही है अनय कोई काश्तकारान नही है एव वादी के चाहे गये अनूतोष की आराजी के सम्बध में किसी भी सहकाश्तकारान ने विरोध नही किया है। इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तोवजी साक्ष्यों, अभिकथनों, इकबाल कथनों एव बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है, अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार

खाता संख्या 18/8 प.न. 37/112 मु.न. 39 कि.न .22, 23 सालम, मय गै.मु. रास्ता, प. न. 37/113 मु.न. 54 कि.न. 2, 9, 12 सालम कि.न. 19 में 0.126 है., कि.न. 23 सालम, नहरी प.न. 37/114 मु.न. 65 कि.न. 3 सालम कुल 1.897 है. नहरी मय गै.मु. आराजी का वादी को, खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाता है, उक्तानूसार ही वादी का खाता अलग कायम किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.14 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: